झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
पंचम–सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 24.02.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री शिवशंकर उरॉंव एवं श्री नारायण दास स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के गुमला जिला के नव निर्मित परमवीर अल्बर्ट एक्का, जारी प्रखण्ड क्षेत्र में छ0ग0 राज्य सीमा पर जनजाति बहुल क्षेत्र में जनजाति समाजीक एवं क्षेत्र के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए एक आदिवासी शक्ति विश्वद्यालय निर्माण का प्रस्ताव 34 साल से लम्बित चला आ रहा है, देश में जनजातियों के विकास के लिए अब तक अरबों रूपैये की राशि खर्च की जा चुकी है और अब भी खर्च करना जारी है, लेकिन वांछित फलाफल नहीं निकल रहा है, झारखण्ड को आदिवासी राज्य के रूप में भी जाना जाता है इस समुदाय के शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के साथ–साथ रोजी–रोज़गार के अवसरों के मामले में समुचित न्याय नहीं मिल रहा है, परिणाम स्वरूप समूचे आदिवासी समुदाय में असंतोष का वातावरण है, गुमला जिला घोर नक्सल प्रभावित जिला के रूप में चिन्हित है, क्षेत्र में समुचित शिक्षा व्यवस्था के अभाव और समुचित शैक्षणिक वातावरण अभाव में युवा पीढ़ी भटकाव की दिशा में अग्रसर है, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए और राज्य के जनजाति असंतोष को दूर करने के लिए तथा राज्य के जनजाति समाज के विद्यार्थियों के विश्व स्तरीय गुणात्मक शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए गुमला जिला के प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासी शक्ति विश्वविद्यालय स्थापना हेत एक विस्तृत प्रस्ताव केन्द्र सरकार को समर्पित किया जाए, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी, शिक्षा

क0प्र0उ0

01.	02.	03.	04.
02-	श्री राजकुमार यादव एवं श्री शशि भूषण सामाइ स0वि0स0	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एक महत्वपूर्ण इकाई है लेकिन इसके कर्मियों को सरकार के द्वारा लगातार उपेक्षा किया जा रहा है। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के स्मृति पत्र की कंडिका 44 (3 क) में स्पष्ट उल्लेखित है कि परिषद् द्वारा सृजित पदों पर कार्यरत कर्मियों को केंद्र/राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान देय होगा, लेकिन भारत सरकार का सभी भारत वासियों को समाजिक सुरक्षा देना एक प्रमुख एजेंण्डा है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सभी कर्मियों को इसका लाभ देना सरकार का दायित्व है। छोट-छोटे संस्थान में भी यह लागू है। जबकि परियोजना में कार्यरत (2000) दो हजार कर्मियों को कार्यरत होने के बावजूद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा इसे लागू नहीं किया गया है। विगत कुछ वर्षो में 14 परियोजना कर्मियों का कार्य क्षेत्र में रहते हुए अकाल मृत्यु हो गयी। लेकिन इन परिवारों को कोई लाभ नहीं मिला। अविभाजित बिहार के समय से ही परियोजना के अन्तर्गत लगभग 25 वर्षो से कई कर्मी कार्यरत है। 10-15 वर्षो से लगातार सेवा दे रहे हैं, फिर भी नियमितीकरण नहीं किया गया है। जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में नियमितीकरण किया जा चुका है। परन्तु सरकार द्वारा कोई साकारात्मक पहल नहीं की गयी है। इन कर्मियों का एक माह से आंदोलन चल रहा है, लोग भूख हड़ताल पर है। अतः मैं इन कर्मियों के साथ न्याय एवं मांग पूरी करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
03-	सर्वश्री जगरनाथ महतो, जय प्रकाश भाई पटेल एवं श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति को भारतीय संविधान के धारा 342 के तहत अनुसूचित जनजाति सूची में पुनः शामिल किया जाय। ज्ञातव्य है कि Mr. H.H. Risley का Ethnographic Research Report के आधार पर तत्कालीन छोटानागपुर एवं उड़ीसा के कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति को अनुसूचित जनजाति माना गया जो 1891-92 में the Tribes and Caste of Bengal नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट के आधार पर उक्त जाति को पूर्वकाल से ही ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य अवधारणाओं के साथ यह जाति (Tribe) है। यह जाति अन्य राज्यों के कूरमी जाति से भिन्न है।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		उल्लेखनीय है कि 1913 में भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसकी संख्या 550, दिनांक- 02 मई 1913 है। यह अधिसूचना The Gazzette of India के पेज संख्या- 471 में प्रकाशित हुआ था जिसमें 13 जातियों के साथ कुरमी जाति को (Tribe) माना है तथा (Indian Succession Act) 1865 एवं 1925 के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है इस अधिसूचना के आधार पर 08 दिसम्बर 1931 को अधिसूचना जारी कर बिहार एवं उड़ीसा सरकार भी इसे जनजाति माना है। भारत सरकार का आदेश SRO- 510 दिनांक- 06 सितम्बर, 1950 और नं02-38-50 पब्लिक दिनांक- 05 अक्टूबर 1950 यह घोषित करता है कि केवल वे जनजातियाँ जिनका नाम 1931 की जनगणना प्रतिवेदन मे Prmetive Tribe की सूची में शामिल है उसे देश के संविधान के अनु0 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकते है। अतएव झारखण्ड राज्य के कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04-	सर्व श्री योगेन्द्र प्रसाद, अमित कुमार महतो एवं श्री आलमगीर आलम स0वि0स	सरकारी संकल्प सं0- 1382, दिनांक- 20.05. 2004 में स्पष्ट निदेश के बावजूद भी राधा गोविन्द प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामगढ़ के द्वारा सत्र 2012-14 एवं 2013-15 में 23 अंडर ऐज छात्राओं का नामांकन प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण में किया है, जिसकी जानकारी महाविद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं को नहीं बताया गया कि आप लोग अंडर ऐज हैं। पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन भरने के पश्चात् परीक्षा के दो दिन पूर्व महाविद्यालय द्वारा जानकारी दिया जाता है कि आपलोगों का वार्षिक परीक्षा में अंडर ऐज होने के कारण JAC द्वारा परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया है। जबकि इसके पूर्व JAC सत्र 2011-13 तक अंडर ऐज छात्राओं को प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा आयोजित कर परीक्षा फल घोषित किया है। झारखण्ड सरकार के उपरोक्त संकल्प का उपर्युक्त महाविद्यालय एवं JAC द्वारा 2011-13 तक घोर उल्लंघन किया गया है। अतः मैं पूर्व के भांति 2012-14 एवं 2013-15 के 23 अंडर ऐज छात्राओं को परीक्षा लेने तथा उपरोक्त महाविद्यालय एवं JAC पर कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
05-	श्री प्रकाश राम एवं श्री प्रदीप यादव स०वि०स०	फरवरी 2010 में जल संसाधन विभाग के कुछ कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता में नियमित प्रोन्नति हेतु विधिवत् विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आलोक में J.P.S.C. द्वारा नियमित प्रोन्नति का निर्ण संसूचित किया गया। विभाग द्वारा दो वर्षो तक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर J.P.S.C. द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में नियमित प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना निर्गत नहीं की गई । एकाएक वर्ष 2012 में जिस वरीयता के आधार पर J.P.S.C. द्वारा नियमित प्रोन्नति देने का निर्णय संसूचित किया गया था उसे Abeyance में डाल कर अधिसूचना निर्गत नहीं करने का गलत निर्णय लिया गया। विषयांकित वरीयता सूची वर्ष 2012 में Abeyance में डाला गया। जिन कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता में नियमित प्रोन्नति दिया जा रहा था वे सब अधीक्षण अभियंता में नियमित प्रोन्नति के लिए आवश्यक अहर्त्ता वर्ष 2007 के पूर्व ही प्राप्त कर लिये थें। ऐसे में फरवरी 2010 में J.P.S.C. द्वारा जिस वरीयता सूची के आधार पर नियमित प्रोन्नति दिये जाने संबंधी निर्णय संसूचित किया गया उसे वर्ष 2012 में Abeyance में डालकर प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना निर्गत करने से कैसे रोका जा सकता है। उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जिन कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता में नियमित प्रोन्नति हेतु J.P.S.C. ने अपने पत्र सं0- 178 दिनांक- 25.02.2010 के माध्यम से निर्णय संसूचित किया गया, उन सभी कार्यपालक अभियंताओं का अधीक्षण अभियंता में नियमित प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना निर्गत की जाय।	जल संसाधन

राँची,
दिनांक- 24 फरवरी, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-...1437.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 23/2/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शिशिर 23/2/16

(शिशिर कुमार झा)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-...1437.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 23/2/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

शिशिर 23/2/16

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

23/02